

31/10/25 अधिवक्ता अपीलॉट अनु! अधिवक्ता अपीलॉट
व अपीलॉट के न्यायालय समय में रुक-2
कर आवाजे लगवाई गयी। किन्तु न्यायालय
में कोई उप. नडी हुआ, इसके अतिरिक्त
अधिवक्ता अपीलॉट के रेसपो. सं. 01 से 03
तक के सम्मन रोज. पेश करने हेतु कई पूर्व
में कई अवसर प्रदान किये जा चुके हैं किन्तु
आदिनांक तक रेसपो. के सम्मन पेश नहीं
किये। अतः उक्त अपील अदम हाजरी अदम
पैरवी व अदम लकमील में खारिज की
जाती है। पत्रावली इती मुताबिक निर्णित
की जाऊए बाद लकमील खेरला से उग
होकर दायिल दफ्तर हो।